न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–28 / 2025 (2025 / 368)

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.हनुमान चौधरी पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी जालेली चम्पावता जोधपुर। 2.राकेश पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी बिरामी जोधपुर।		**1.अर्जुन राव पुत्र बुधाराम** **2.मिलाप पुत्र बुधाराम** **3.रेखा पुत्री बुधाराम** **4.रवि राव पुत्र बुधाराम** **5.रेशम पत्नी बुधाराम** **6.सवाईराम पुत्र बुधाराम सभी जातियान राव, निवासीगण ग्राम बासनी सिलावटा तहसील झंवर जिला जोधपुर।** **7.ग्राम पंचायत कांकाणी जरिये सरपंच।**

अपील पत्र अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2015 ग्राम पंचायत कांकानी दिनांक 24.4.2025

उपस्थिति –

1. अपीलान्ट की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 से 6 की और से अधिवक्ता हरिसिंह राजपुरोहित।
3. रेस्पोडेन्ट् संख्या 7 अनुपस्थित।

दिनांकः–08.04.2026

आदेश

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं। कि राजस्व ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 734 की कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार श्री बुधाराम एवं श्री सागरराम भी थे जिनका उक्त कृषि भूमि में हिस्सा क्रमशः 02 बीघा 03 बिस्वा 05 बिस्वासी एवं रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा 05 बिस्वांसी यानि कुल हिस्सा रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वासी था। उन दोनो सहखातेदार द्वारा अपना अविभक्त सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वासी कृषि भूमि को जरिये पंजीबद्व बेचाननामें के द्वारा अपीलान्ट को बेचान कर दी गयी जो कि उक्त बेचाननामें के द्वारा अपीलान्ट को बेचान कर दी गयी जो कि उक्त बेचाननामा दिनांक 10.11.2021 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 325 पृष्ठ संख्या 2, क्रम संख्या 202103063105076 पर पंजीबद्व किया हुआ है। वक्त खरीद से ही अपीलान्ट उक्त कृषि भूमि रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वासी कृषि भूमि पर बहैसियत सहखातेदार काबिज हुए एवं काश्त करते है। उक्त बेचाननामें के आधार पर अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत पटवारी हल्का को दिनांक 15.04.2025 को उक्त बेचाननामें की फोटो प्रति दे दी गयी जिस पर पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को आश्वस्त किया कि उसके द्वारा उक्तं बेचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जावेंगा लेकिन पटवारी हल्का द्वारा सागरराम पुत्र मांगीलाल के हिस्से का नामान्तरकरण तो जरिये नामान्तरकरण संख्या 2020 के द्वारा दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा दिया गया एवं बुधाराम के हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज ही नहीं किया गया। हाल ही में दिनांक 10.07.2025 को अपीलान्ट अपने नाम की जमाबन्दी लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को अवगत करावाया कि सागरराम पुत्र मांगीलाल के हिस्से का नामान्तरकरण संख्या 2020 दर्ज करते हुए स्वीकृत करवा दिया गया है लेकिन बुधाराम के हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज नही किया जा सकता है तथा बुधाराम के स्थान पर उनके प्रथमश्रेणी के वारिसान यानि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से छः का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2015 दिनांक 24.04.2025 को स्वीकृत होने से राजस्व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिये गये है। इस कारण से वर्तमान में वुधाराम का हिस्सा रकवा 02 बीघा 03 बिस्वा 05 बिस्वासी बुधाराम के वारिसान यानि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से छः के नाम से दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में जब तक उक्त नामान्तरकरण संख्या 2015 निरस्त नहीं हो जाकर पुनः बुधाराम के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज नहीं हो जाती तव तक उक्त बेचाननामें के आधार पर बुधाराम के हिस्से की रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा 05 बिस्वासी कृषि भूमि किसी भी सूरत में अपीलान्ट के नाम से दर्ज नहीं की जा सकती है।

उक्त नामान्तरकरण संख्या 2015 स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियों यथा पटवारी,भू.अ. निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत कब्जे के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार से कोई जांच नही की तथा विना कब्जे के ही विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया, जबकि बुधाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने सम्पूर्ण हक, हिस्से का बेचाननामा अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया गया था तथा वक्त बेचान के समय ही बेचान सुदा कृषि भूमि का कब्जा भी अपीलाण्ड को सुपुर्द कर दिया गया जिस पर अपीलाण्ट बहैसियत सहखातेदार मौके पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में इसी आधार पर ही अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वार प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे एंव ग्राम काकांणी तहसील लूणी के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2015 जो कि दिनांक 24.04.2025 को ग्राम पंचायत काकांणी द्वारा स्वीकृत किया गया है उसे निरस्त किया जावे तथा अपीलाण्ट के हक में बुधारामजी के हिस्से क निष्पादित पंजीबद्व बेचाननामा दिनांक 10.11.2021 के आधार पर बुधाराम के हिस्से का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के हक में स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

2. अपीलान्ट द्वारा अपील के सलंग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया हाल ही में दिनांक 10.07.2025 को अपीलण्ट अपने नाम की जमाबन्दी लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने अपीलण्ट को अवगत कराया कि सागरराम पुत्र मांगीलाल के हिस्से का नामान्तरकरण संख्या 2020 दर्ज करते हुए स्वीकृत करवा दिया गया है लेकिन बुधाराम के हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बुधाराम दिनांक 13.12.2024 को फौत हो चुका है तथा बुधाराम के स्थान पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान यानि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से छः का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2015 दिनांक 24.04.2025 को स्वीकृत होने से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिये गये है। इस कारण से वर्तमान में बुधाराम का हिस्सा रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा 05 बिस्वांसी बुधाराम के वारिसान यानि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से छः के नाम से दर्ज हो गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2025 से अविलम्ब यह अपील अपीलाण्ट द्वारा अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं से न्यायालय संतुष्ट होने से विलम्ब कण्डोन किया जाता है।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की और से अधिवक्ता श्री हरीसिंह राजपुरोहत द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल हो। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की और से कोई जवाब पेश नहीं कियां गया। प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की एकतरफा अंतिम बहस सूनी गई। विद्वान अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 10.11.2021 के द्वारा बुधाराम व सागरराम द्वारा ग्राम कांकानी के खसरा नंबर 734 रकबा 16–13 बीघा कृषि भूमि में से क्रमशः 2–03–05 बीघा, 4–3–5 बीघा भूमि का बेचान अपीलांट को किया गया है जिसके आधार पर नामान्तकरण दायर करने की कार्यवाही नहीं की जाकर विरासत का नामान्तकरण संख्या 2015 दर्ज होने से रिकार्ड में बुधाराम के वारिसान का नाम दर्ज हो गया अतः उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

4. हमने पत्रावली का विस्तृत से अवलोकन व एक पक्षीय वहस अधिवक्ता अपीलार्थी की सुनी वहस पर मनन किया। उपरोक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि बुधाराम के द्वारा क्रय की गयी भूमि का नामान्तकरण विरासत नामान्तकरण दर्ज होने से दायर नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2015 गांव कांकाणी ग्राम पंचायत कांकाणी दिनांक 24.04.2025 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कांकाणी की कृषि भूमि खसरा संख्या 734 बेचाननामा दिनांक 10.11.2021 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी